

दिनांक 9.6.22 का पत्र

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराणा (अलवर) राज.

9-6-22 मातृ पत्रावली के तहत पत्रावली  
में मूल कांड खाति से कुछ वर्षों  
प्रायः में केवल कार्यवाही मापे जाते  
नहीं हैं और प्रायः सभी पत्रावली  
खाति विभाजित हैं पत्रावली के सारे  
कार्य दोहरा नमूने से कर दोहरा  
करि संलग्न मूल कांड वही

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराणा (अलवर) राज.

